राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400(कमेड़ा) से किमी0 417.050(नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु 3डी के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में अधिग्रहण की जा रही नाप भूमि (ग्राम चौकी से सोनला तक के 28 गॉवों के भूस्वामियो की) के प्रतिकर निर्धारण की आपत्तियों की सुनवाई हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा– 3G की उपधारा– 3 के अनुसार सर्वप्रथम नोटिस की सूचना दो समाचार पत्रों में दिनांक 14.04.2018 को प्रकाशित की गयी एवं 3डी0 की छायाप्रति तहसील चमोली एवं प्रभावित गॉवों के सार्वजनिक स्थानों पर चश्पा की गयी। ग्राम चौकी से सोनला तक के प्रभावितों की आपत्तियों की सुनवाई के लिए तहसील कर्णप्रयाग में दिनांक 20.04.2018 को तिथि निर्धारित की गयी तथा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण अधोहस्ताक्षरी की उपस्थिति में की गयी तथा सम्पूर्ण विवरण NIC की वेबसाईट– www.chamoli.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

सर्वप्रथम उपस्थित प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा–03जी की उपधारा–03 के अन्तर्गत प्रावधानों को समझाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची एवं के तहत सभी प्रावधानों को बताया गया तथा किस प्रकार उपर्युक्त अधिनियम के तहत मुआवजा निर्धारण किया जाएगा बताया गया। प्राप्त लिखित आपत्तियां निम्न प्रकार है:–

| सुनवाई की तिथि एवं स्थान | प्रभावित व्यक्तियों द्वारा सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियां | सुनवाई में उठायी गयी आपत्तियों का समाधान/ निस्तारण के कम में की गयी कार्यवाही | सुझाव |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही नाप भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 20.04.2018 को प्राप्त आपत्तियों की जनसुनवाई की कार्यवाही सम्पन्न की गयी। | 1. श्री कुंवर सिंह सजवाण पुत्र श्री बलवन्त सिंह सजवाण ग्राम सोनला तहसील कर्णप्रयाग ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण में भूमि प्रतिकर एवं मकान/दुकान प्रतिकर वास्तविक परिवार को वितरित करने का अनुरोध किया गया है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को प्रेषित किये जाने के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या अनुसार नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |
| | 2. श्री ज्ञान बीर लाल पुत्र स्व0 पतलू लाल ग्राम कण्डारा तहसील कर्णप्रयाग ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि पर प्रार्थी का मकान निर्मित है, प्रार्थी ने भूमि एवं मकान का उचित मुआवजा दिये जाने का अनुरोध किया गया है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उपजिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं कार्यदायी संस्था (NHIDCL)को प्रेषित किये जाने के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या अनुसार नियमानुसारप्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |
| | 3. श्री बलवीर सिंह, धूम सिंह, हुक्म सिंह, दीवान सिंह ग्राम सोनला तहसील कर्णप्रयाग ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेडा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सडक चौड़ीकरण/विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को प्रेषित कर दिया जायेगा, अधोहस्ताक्षरी के स्तर से कोई कार्यवाही नहीं की जानी | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | जा रही भूमि के सम्बन्ध में 3डी के अन्तर्गत जारी अधिसूचना में प्रार्थीगण का नाम व दर्ज भूमि का क्षेत्रफल सही नहीं है, जिसे दुरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। | है। | |
| | 4. श्री मोहन प्रसाद डिमरी पुत्र स्व0 जयानन्द डिमरी आदि 16 प्रभावित व्यक्तियों ने अपने सामूहित प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि से जो भवन एवं रोजगार पूर्ण रूप से प्रभावित हो रहे हैं, का सही प्रकार से आंगणन कर पूरा भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं कार्यदायी संस्था (NHIDCL) को प्रेषित किये जाने के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या अनुसार नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |
| | 5. श्रीमती बसुदेवी डिमरी पत्नी द्वारिका प्रसाद डिमरी, बद्रीनाथ रोड़ नियर गैस ऑफिस कर्णप्रयाग ने अवगत कराया कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेड़ा) से किमी0417.050(नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि से जो भवन लॉज एवं दुकान प्रभावित हो रहे हैं, का सही प्रकार से आंगणन कर पूरा भुगतान किये जाने का अनुरोध किया गया है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं कार्यदायी संस्था (NHIDCL) को प्रेषित किये जाने के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या अनुसार नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |
| | 6. श्री दिनेश चन्द्र शैली पुत्र स्व0 पद्मनाम शैली ग्राम घल्लीलग्गा भट्टनगर, तहसील कर्णप्रयाग ने प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384. 400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि के खसरा नम्बरों में प्रार्थी का नाम नहीं है, जिसे सही करवाने के पश्चात् ही मुआवजा वितरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को प्रेषित कर दिया जायेगा, प्राप्त जांच आख्या अनुसार ही नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |
| | 7. श्री सुभाष चन्द्र शैली पुत्र स्व0 पद्मनाम शैली ग्राम घल्लीलग्गा भट्टनगर, तहसील कर्णप्रयाग ने प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384. 400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि के खसरा नम्बरों में प्रार्थी का नाम नहीं है, जिसे सही करवाने के पश्चात् ही मुआवजा वितरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को प्रेषित कर दिया जायेगा, प्राप्त जांच आख्या अनुसार ही नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |
| | 8. श्री गिरीश चन्द्र शैली पुत्र स्व0 पद्मनाम शैली ग्राम घल्लीलग्गा भट्टनगर, तहसील कर्णप्रयाग ने प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384. 400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि के खसरा नम्बरों | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग को प्रेषित कर दिया जायेगा, प्राप्त जांच आख्या अनुसार ही नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | में प्रार्थी का नाम नहीं है, जिसे सही करवाने के पश्चात् ही मुआवजा वितरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। | जायेगी। | |
| | 9. समस्त भवन स्वामी एवं भूस्वामी ग्राम उत्तरों तहसील कर्णप्रयाग ने अपने सामूहिक प्रार्थना पत्र से अवगत कराया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं0–58 के किमी0 384.400 (कमेड़ा) से किमी0 417.050 (नन्दप्रयाग) तक सड़क चौड़ीकरण/ विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहण की जा रही भूमि के गोल खाते की भूमि मुआवजा उसी व्यक्ति को दिया जाय, जिसके हिस्से में उक्त भूमि है। | प्रार्थना पत्र जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं कार्यदायी संस्था (NHIDCL) को प्रेषित किये जाने के उपरान्त प्राप्त जांच आख्या अनुसार नियमानुसार प्रतिकर वितरण की कार्यवाही की जायेगी। | |

3ए के प्रकाशन के दिनांक 11 मई 2017 से पूर्व जारी सर्किल दर जो कि जिलाधिकारी चमोली द्वारा 04 जनवरी 2016 को लागू की गयी है के आधार पर ही मूल्यांकन किया जाएगा। प्रभावित गांवों के सर्किल रेट की सूची संलग्न प्रेषित है। मुआवजा वितरण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम, 2013 की प्रथम अनुसूची के अनुसार निम्न प्रारूप में किया जाएगा:—

| भू– स्वामी का नाम | खाता नं0 | खसरा नम्बर | अर्जित खसरा का क्षे0 (है0मे) | सर्किल दर (कृषि है0 में) | सर्किल दर के अनुसार अर्जित भूमि का मूल्यांकन (लाख में) | प्रथम अनुसूची के धारा 30 (2) के अनुसार गुणांक मूल्य गुणा सुसंगत कारक (Relevant Factor) ग्रामीण क्षेत्र में 2 नगरीय क्षेत्र में 01 (लाख में) | निजी नाप भूमि में फलदार वृक्षों की संख्या | फलदार वृक्ष का मूल्य (लाख मे) | निजी नाप भूमि में संरचना | संरचना का मूल्य (लाख में) | कुल मूल्य (लाख में) स्तम्भ 7, 9 व 11 का योग | प्रथम अनूसूची की धारा 30 (2) के अनुसार 100 प्रतिशत तोषण (लाख मे) स्तम्भ 12 का 100 प्रतिशत | कुल प्रतिकर कॉलम 12एवं 13 का योग |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |

सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी,चमोली।

कार्यालय जिलाधिकारी, चमोली।

संख्या:-4720/आठ--एन0वी0/2017--18 गोपेश्वर दिनांक:16 मई ~~अप्रैल,~~ 2018

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— जिलाधिकारी महोदय, चमोली को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2— मुख्य अभियन्ता, सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
3— रीजनल ऑफिसर, रीजनल ऑफिस 46/1 कैनाल रोड़ जाखन, देहरादून।
4— महाप्रबन्धक(परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0, 58/37 प्रथम तल, बलवीर रोड, देहरादून।
5— उप महाप्रबन्धक(परियोजना), राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लि0, कार्यालय ग्राम कुहेड, तहसील चमोली।
6— उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग।

सक्षम प्राधिकारी/
अपर जिलाधिकारी,चमोली।

NIL